

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
फौजदारी वाद संख्या : 275 वर्ष 2022,
CNR N0 UKCL020004022022
उत्तराखण्ड राज्य बनाम प्रेम सिंह।

धारा- 181 मोटरयान अधिनियम, 1988
द्वारा:- सहायक संभागीय परिवहन कर्णप्रयाग, चमोली।

दिनांक : 13.07.2022

आज प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय कर्णप्रयाग से प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। अभियुक्त प्रेम सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 181 मोटरयान अधिनियम, 1988 का संज्ञान लिये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त प्रेम सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 181 मोटरयान अधिनियम, 1988 में वर्णित अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त को समन जारी हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत दिनांक 13.08.2022 को पेश हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।